न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

पीठासीन अधिकारी– **छवि अस्थाना** (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP6341

विशेष वाद सं०–158/2023

पंजीयन सं०– 2145/2023

UPRP010014522023

राज्य ... ...**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1– रोहिताश पुत्र तुलाराम आयु 36 वर्ष, निवासी मौ० असदुल्लापुर, थाना मिलक, जिला रामपुर।

2– हरदयाल पुत्र खेमकरन आयु 48 वर्ष, निवासी ग्राम खमरिया, थाना मिलक, जिला रामपुर।

... ... .अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–281/2023

धारा–323, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० व

धारा 3(1)द/ध, 3(2)Va एस.सी./एस.टी. एक्ट

थाना मिलक, जिला रामपुर

अधिवक्ता अभियोजन पक्ष	अधिवक्ता बचाव पक्ष
श्री पुनीत कुमार, अभियोजन अधिकारी	श्री राजेश कुमार सक्सेना

निर्णय

1. अभियुक्तगण रोहिताश एवं हरदयाल का विचारण अंतर्गत धारा–323, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध सं० 281/2023 में थाना मिलक, जिला रामपुर की ओर से पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रथम शिकायतकत्री द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि– "दिनांक 15.10.2023 को वह अपने खेत

Digitally signed by Chhavi Asthana
Date: 2026.04.09 16:39:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर लकड़ी काट रही थी। समय करीब 03:00 बजे शाम को रोहिताश पुत्र तुलाराम गंगवार निवासी मौ० अस्दुल्लापुर, कस्बा व थाना मिलक, जिला रामपुर व हरदयाल पुत्र खेमकरन निवासी ग्राम खमरिया, थाना मिलक, जिला रामपुर व उनके साथ तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात आए और उसे गंदी–गंदी गालियां देने लगे। जब उसने मना किया,तो सभी मारने–पीटने लगे। रोहिताश व हरदयाल ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके पहने हुए कपड़े फाड़ दिये। जब वह चिल्लाई,तब आशारानी पत्नी मोहनलाल, सुमन देवी पत्नी बन्टी कुमार, विरेन्द्र पुत्र स्व० मेवाराम आए बचाने, तो विरेन्द्र के साथ भी मारपीट की और कहा कि साले चमारों तुम्हारे दिमाग खराब है, दुबारा यदि इस जमीन पर आए, तो तुम्हे जान से मार देंगे। मुल्जिमान गालियां देते हुए भाग गए।"

4. वादिनी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर थाना मिलक, जिला रामपुर में दिनांक 15.10.2023 को समय 18:45 पर रोहिताश, हरदयाल व तीन अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अपराध सं० 281/2023, धारा– 147,323,354 ख,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,3(1)ध,3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी और विवेचना की गयी। विवेचक ने साक्ष्य एकत्र किया, नक्शा–नजरी बनाया तथा गवाहों के बयान अंकित किये और विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण रोहिताश एवं हरदयाल का विचारण अंतर्गत धारा–323,354 ख,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,3(1)ध,3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अपराध पाते हुए उक्त अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ मामले का संज्ञान लिया गया।

5. अभियुक्तगण रोहिताश एवं हरदयाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2024 को अभियुक्तगण रोहिताश एवं हरदयाल के विरूद्ध धारा 323,354 ख,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,3(1)ध,3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्निलिखित प्रपत्र साबित किये गये:–

क्र० सं०	**अभिलेखों का विवरण**	**प्रदर्श**	**पी०डब्लू०/ डी०डब्लू० जिसने साबित**	**साबित करने का दिनांक**

			किया है।	
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू० 1	30.01.2025
2	बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू० 1	30.01.2025
3	पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू० 4	18.02.2025
4	मजरूब वीरेन्द्र की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू० 4	18.02.2025

7. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्र०सं०	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**
1	पीड़िता (वादिनी मुकदमा)	PW–1
2	आशा रानी	PW–2
3	सर्वेश	PW–3
4	डॉ० मधुमोहन	PW–4
5	सुमन देवी	PW–5
6	रामदास	PW–6
7	वीरेन्द्र कुमार	PW–7

8. **साक्षी पी०डब्लू० 1 पीड़िता (वादिनी मुकदमा)** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 15.10.2023 को वह अपने खेत पर लकड़ी काट रही थी। समय करीब शाम के 3:00 बजे कुछ लोग, जिन्होंने अपने मुँह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, उसके पास आए और उसे गंदी–गंदी गालियां देने लगे। जब उसने मना किया, तो दो लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और गंदी गंदी गालियां दी। जब वह चिल्लाई तो उसे आशा रानी, सुमन देवी, व वीरेन्द्र बचाने आए, तो उन्होंने वीरेन्द्र के साथ भी मारपीट की और कहा कि सालो चमारों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मारपीट में हमारे चोटें आयी थी। उसकी चोटों का मुआयना सरकारी अस्पताल में हुआ था। हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल ने उसके साथ लात घूँसों से मारपीट नहीं की थी और न ही लज्जा भंग करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ की थी। उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसे गंदी गंदी गालियां व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। तहरीर

गांव का ही कोई व्यक्ति लिखकर लाया था। उस व्यक्ति का नाम उसे याद नहीं है। तहरीर जो पत्रावली पर कागज सं० 4 क के रूप में संलग्न है, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की, जिस पर **प्रदर्श क 1** डाला गया। पीड़िता ने यह भी कहा कि इस घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर उसके बयान हुए थे । पीडिता के बयान धारा 164 दं०प्र०सं० का सील बंद लिफाफा न्यायालय में उपलब्ध है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पर खोला गया। पीडिता को उसका बयान धारा 164 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया, तो पीडिता ने बताया कि उसने यह बयान पुलिस के सिखाए अनुसार दिया था। गवाह ने उस पर लगे फोटो व हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर **प्रदर्श क 2** डाला गया। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

9. **साक्षी पी०डब्लू० 2 आशा रानी** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि पीड़िता, सर्वेश और सुमन उसकी देवरानी हैं। वे सभी दिनांक 15–10–2023 को शाम करीब 03 बजे पर खेत पर काम कर रही थी, तथा उसकी देवरानी दूसरी तरफ काम कर रही थी तथा वे लोग दूसरी तरफ काम कर रहे थे। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आयी तो वे लोग जब पीड़िता के पास पहुंचे, तो उसने उन्हें बताया कि कुछ लोग उसे गंदी–गंदी गालियां और जातिसूचक शब्द कह रहे थे। हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इन लोगों ने उसके सामने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी और न ही गाली–गलौच की थी और न ही मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

10. **साक्षी पी०डब्लू० 3 सर्वेश** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि आशा उसकी जेठानी है और सुमन व पीड़िता उसकी देवरानी हैं। वे सभी दिनांक 15–10–2023 को शाम करीब 03 बजे अपने खेत पर लकड़ी इकट्ठा कर रही थीं। उसकी देवरानी खेत पर दूसरी तरफ काम कर रही थी, तथा वे दूसरी तरफ काम कर रही थी। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आयी, तो वे लोग जब पीड़िता के पास पहुंचे, तो उसने उन्हें बताया कि कुछ लोग उसे गंदी–गंदी गालियां और जातिसूचक शब्द कह रहे थे। हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इन लोगों ने उसके सामने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी और न ही गाली–गलौच की थी और न ही मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में

यथास्थान किया जाएगा।

11. **साक्षी पी०डब्लू० 4 डॉ० मधुमोहन** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 15.10.2023 समय 07:35 PM पर थाना मिलक से लेडी कां० 295 पूनम पीड़िता को उसके पास चिकित्सीय परीक्षण हेतू लेकर आयी थी। पीडिता की पहचान:– गले के दायी ओर तिल था। पीडिता की सहमति के रूप में उसके दाये हाथ का अंगूठा निशानी ली गयी थी। पीडिता का परीक्षण उसके द्वारा किया गया। पीडिता द्वारा बतायी गयी चोट पूरे शरीर में दर्द और दोनों हाथों में दर्द। चोट की प्रकृति साधारण एवं ताजा थी, जो कि कुंद व कठोर हथियार से आना संभव थी। चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं० 7 क/2 के रूप में उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क 3**, डाला गया। उसी दिनांक को समय 03:15 PM होमगार्ड 312 गगन, मजरूब वीरेन्द्र पुत्र मेवाराम आयु 28 वर्ष को चिकित्सीय परीक्षण हेतू उसके पास लाया गया, जिसकी पहचान:– चिह्न दाँये साइड से Clavical bone पर काला तिल था। मजरूब को निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट सं–1, माथे पर सूजन 3cmX2cm की, माथे पर बाँयी ओर थी। चोट सं० 2, नीलगू निशान 6cmX2cm, जो कि वायु नली के पास थी। चोट सं० 3, नीलगू निशान 10cmX4cm, जो कि छाती पर बायी तरफ थी तथा clavica bone से नीचे थे। चोट सं० 4, नीलगू निशान 6cmX3cm, जोकि छाती पर दाँयी तरफ तथा Clavica bone से 7cm नीचे थे। दर्द की शिकायत छाती, सीने के पीछे व गर्दन के पीछे बताई थी। **राय–** साक्षी की राय में सभी चोटें साधारण प्रकृति की व ताजा थी तथा कुंद व कठोर हथियार से आना संभव हैं, उसके द्वारा मजरूब को एक्सरे की सलाह दी गयी थी। चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर कागज सं० 7 क/1 उसके लेख व हस्ताक्षर में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क 4**, डाला गया। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

12. **साक्षी पी०डब्लू० 5 सुमन देवी** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि पीड़िता उसकी देवरानी है और आशा जेठानी है। वे सभी दिनांक 15.10.2023 को शाम के करीब 3:00 बजे की बात है। उस दिन उसके पति बंटी, जेठ मोहनलाल, दिनेश और उसके देवर अनुज घर पर नहीं थे। वे अपने खेत पर लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। देवरानी पीड़िता खेत के दूसरी तफ काम कर रही थी। वे सभी दूसरी तरफ काम कर रही थी। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आई,तो वह और जेठानी आशा, पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर, उसके पास पहुंचे, तो उसने बताया कि कुछ व्यक्ति, जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, उसके पास आए और उसे गंदी–गंदी गालियां दीं और

उसके साथ छेड़छाड़ की तथा जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। गंदी–गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। वे लोग तथा आस–पास के खेतों में काम कर रहे लोगों को आता देख, मुल्जिमान वहां से भाग गए थे। हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इन लोगों ने उसके सामने पीड़िता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी और न ही मारपीट कर गाली–गलौज की थी और न ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

13. **साक्षी पी०डब्लू० 6 रामदास** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 15–10–2023 को अपने खेत की मेंड पर खड़े पेड़ कटाए थे, जिसके पास में परशुराम का खेत है। वह और उसका भाई वीरेन्द्र अपने खेत पर लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। पास में ही परशुराम जाटव की बहुएं, जिनके नाम उसे नहीं पता वह अपने खेत पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थीं, तभी किसी महिला के चिल्लाने की आवाज पर वह तथा आसपड़ोस के खेतों पर काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पीड़िता के साथ दो लोगों ने, जिनके मुंह पर कपड़ा लिपटा था, छेड़छाड़ की है, लेकिन उसने वहां पर किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। उसने हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को मौके पर नहीं देखा था। इन लोगों के नाम भीड़ में से किसी ने नहीं लिए थे। उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसके सामने कोई घटना कारित नहीं की थी। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

14. **साक्षी पी०डब्लू० 7 वीरेन्द्र कुमार** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि एक–डेढ़ साल पहले समय करीब 12:00 बजे वह अपने खेत से आ रहा था। उसके गांव की चाची, जिनका नाम उसे याद नहीं है। चाची और रोहिताश का झगड़ा हो रहा था। उसने बीच–बचाव कराया था। मुल्जिमान दो लोग थे, कार में सवार थे। झगड़ा खेत पर ही हुआ था। चाची खेत पर लकड़ी बटोर रही थी। उसके साथ गांव के और लोग थे। बीच–बचाव में उसके सिर में डंडा लगा था, किसने मारा था, उसे याद नहीं है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

15. अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ। अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को झूठा बताते हुए कथन किया है कि वादी मुकदमा द्वारा झूठा और गलत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०–1, 2, 3, 5 व 6 के साक्ष्य के बारे में कुछ कहने से इनकार करते हुए साक्षीगण पी०डब्लू०–4 व पी०डब्लू०–5 के बयान को गलत बताया।

इसके अतिरिक्त कथन किया है कि अभियोजन की कहनी झूठी है एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित है और उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा चला है। अभियुक्तगण ने बचाव में सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

16. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

17. अभियोजन की ओर से बहस करते हुए तर्क दिया गया है कि यद्यपि कि अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 5, पी०डब्लू० 6 व पी०डब्लू० 7 के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु साक्षी पी०डब्लू० 4 द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी के पक्षद्रोही होने के बावजूद पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों एवं उसके समर्थन में दिए गए भाग को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाये।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, न ही अभियोजन के अन्य साक्षीगण पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 5, पी०डब्लू० 6 व पी०डब्लू० 7 द्वारा ही किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। फलतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुये उसे दोषमुक्त किया जाये।

19. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण **रोहिताश** व **हरदयाल** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पर है। धारा 323, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट यह प्रावधानित करती है–

<u>भा०दं०सं० की धारा 323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड–</u> उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

<u>भा०दं०सं० की धारा 354 ख. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड–</u>

<u>भा०दं०सं० की धारा 504. लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान–</u> जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

<u>भा०दं०सं० की धारा 506. आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड–</u> जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा

<u>3. अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड</u>–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, –

द– अनूसचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोकदृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा।

ध– लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनूसचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली–गलौज करेगा;

वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, –

(Va)– अनुसूचित में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध , यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डनीय होगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा।

20. पत्रावली के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण के अभिकथन इस प्रकार पाए जाते हैं कि वादिनी मुकदमा दिनांक 15–10–2023 को समय करीब 03:00 बजे जब अपने खेत पर लकड़ी काट रही थी, तो अभियुक्तगण उपरोक्त उसके साथ गंदी–गंदी गालियां देते हुए मार–पीट करने लगे तथा उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके पहने हुए कपड़े फाड़ दिए, जिस पर उसे बचाने आए वीरेन्द्र के साथ भी मारपीट की और

जातिसूचक शब्द साले–चमारों कहकर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

21. उक्त अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिये अभियोजन की ओर से वादिनी मुकदमा पीड़िता को बतौर पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभिकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इन्कार किया गया है और कथन किया कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसे गंदी –गंदी गालियां व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। तहरीर गांव का ही कोई व्यक्ति लिखकर लाया था। उस व्यक्ति का नाम उसे याद नहीं है। पीड़िता को उसका बयान धारा 164 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाने पर उसने कहा कि उसने यह बयान पुलिस के सिखाए अनुसार दिया था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने पर साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, तहरीर गांव का ही कोई व्यक्ति लिखकर लाया था। वह उसका नाम नहीं जानती। उसने गांव के लोगों के कहने में आकर उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। तहरीर उसे किसी ने पढ़कर नहीं सुनायी थी। तहरीर में रोहिताश व हरदयाल का नाम क्यों लिख दिया, इसकी वजह वह नहीं बता सकती। उसके साथ घटना कारित करने वालों ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, वह उन्हें नहीं पहचान सकी। यह कहना सही है कि उसके ससुर परशुराम का रोहिताश व हरदयाल के साथ जमीनी विवाद है, इसलिए तहरीर लिखने वाला तहरीर में रोहिताश व हरदयाल का नाम लिख लाया हो। यह कहना गलत है कि वह मुल्जिमानों से मिल गयी है और उन्हें बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात न बात रही हो। रोहिताश व हरदयाल उसके खेत पर दिनांक 15–10–2023 को नहीं आए थे और न ही इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और न ही उसके साथ कोई मारपीट की थी और न ही गाली–गलौज की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था।

22. अभियोजन के दूसरे साक्षी पी०डब्लू० 2 आशा रानी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभिकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इन्कार किया है और कथन किया कि हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इन लोगों ने उनके सामने पीड़िता/वादिनी मुकदमा के साथ छेडछाड़ नहीं की थी और न ही गाली–गलौज की थी और न ही मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने पर साक्षी द्वारा कथन

किया गया कि, वे शोर–शराबा सुनकर पीड़िता/वादिनी मुकदमा के पास पहुंचे थे। पीड़िता/वादिनी मुकदमा के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और न ही पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे। जब तक वे पीड़िता के पास पहुंचे, तब तक पीड़िता के साथ घटना कारित करने वाले लोग वहां से भाग चुके थे। गवाह को उसके केस डायरी के पर्चा सं० 1 पर अंकित बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कहा कि पुलिस ने उसका ऐसा कोई बयान नहीं लिया था। पुलिस ने यह बयान कहां से लिख दिया, इसकी वह वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमानों से अनुचित लाभ प्राप्त किया है और इन्हें बचाने के लिए न्यायालय में सही बात न बता रही हो।

23. अभियोजन के तीसरे साक्षी पी०डब्लू० 3 सर्वेश ने अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभिकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इन्कार किया है और कथन किया कि हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इन लोगों ने उनके सामने पीड़िता/वादिनी मुकदमा के साथ छेडछाड़ नहीं की थी और न ही गाली–गलौज की थी और न ही मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने पर साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, वे शोर–शराबा सुनकर पीड़िता/वादिनी मुकदमा के पास पहुंचे थे। पीड़िता/वादिनी मुकदमा के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और न ही पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे। जब तक वे पीड़िता के पास पहुंचे, तब तक पीड़िता के साथ घटना कारित करने वाले लोग वहां से भाग चुके थे। गवाह को उसके धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कहा कि पुलिस ने उसका ऐसा कोई बयान नहीं लिया था। पुलिस ने यह बयान कहां से लिख दिया, इसकी वह वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमानों से अनुचित लाभ प्राप्त किया है और इन्हें बचाने के लिए न्यायालय में सही बात न बता रही हो।

24. अभियोजन के चौथे साक्षी पी०डब्लू० 4 डॉ० मधुमोहन सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में दिनांक 15–10–2023 को समय 07:35PM पर पीड़िता का परीक्षण किया जाना और पीड़िता की आयी चोटें साधारण एवं ताजा प्रकृति की होना एवं कुंद व कठोर हथियार से आना संभव होना बताया गया। इस साक्षी ने चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं० 7 क/2 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने तथा चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में सिद्ध किया गया है।

साथ ही उसी दिनांक को समय 03:PM पर वीरेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण किया

जाना और उसके माथे पर सूजन 3cm x 2 cm, नीलगू निशान 6cm x 2cm, नीलगू निशान 10cm x 4cm, जोकि छाती से बायीं तरफ थी तथा Clavical Bone से नीचे थी और नीलगू निशान 6cm x 3cm जाकि छाती पर दायीं तरफ तथा Clavical Bone ka 7cm नीचे थे की चोट पाया जाना तथा साक्षी की राय में सभी चोटें साधारण व ताजा प्रकृति की होना तथा कुंद व कठोर हथियार से आना संभव होना बताया गया है। इस साक्षी ने चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं० 7 क/1 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने तथा चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–4 के रूप में सिद्ध किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर, प्रतिपरीक्षा में इसने कथन किया है कि पीड़िता/वादिनी मुकदमा के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पीड़िता की कोई मजरूबी चिट्ठी उसके पास नहीं आयी थी। वीरेन्द्र की कोई मजरूबी चिट्ठी नहीं आयी थी। **वीरेन्द्र के सारी चोटें गिरने से आना संभव हैं**। वीरेन्द्र की कोई भी एक्सरे रिपोर्ट नहीं है और न ही कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आयी है। यह कहना गलत है कि उसने मुकदमा वादी से मिलकर झूठी व फर्जी रिपोर्ट तैयार की हो।

25. अभियोजन के पांचवे साक्षी पी०डब्लू० 5 सुमन देवी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभिकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इन्कार किया है और कथन किया कि हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इन लोगों ने उनके सामने पीड़िता/वादिनी मुकदमा के साथ छेडछाड़ नहीं की थी और न ही मारपीट कर गाली–गलौज की थी और न ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने पर साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, वे शोर–शराबा सुनकर पीड़िता/वादिनी मुकदमा के पास पहुंचे थे। पीड़िता/वादिनी मुकदमा के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और न ही पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे। जब तक वे पीड़िता के पास पहुंचे, तब तक पीड़िता के साथ घटना कारित करने वाले लोग वहां से भाग चुके थे। उन्होंने घटनास्थल पर किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। पीड़िता ने उन्हें बताया था कि दो व्यक्ति जिनके मुंह पर कपड़ा लपेटा था, उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने उसे रोहिताश व हरदयाल का नाम नहीं बताया था। गवाह को उसके केस डायरी के बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कहा कि पुलिस ने उसका ऐसा कोई बयान नहीं लिया था। पुलिस ने यह बयान कहां से लिख दिया, इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि वह आज किसी दबाव व लालच से मुल्जिमानों के पक्ष में बयान दे रही है।

26. अभियोजन के छठे साक्षी पी०डब्लू० 6 रामदास ने अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभिकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इन्कार किया है और कथन किया कि हाजिर अदालत रोहिताश व हरदयाल को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। आज पहली बार न्यायालय में देख रहा है। इन लोगों के नाम भीड़ में से किसी ने नहीं लिए थे। उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसके सामने कोई घटना कारित नहीं की थी। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने पर साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, वह शोर–शराबा सुनकर मौके पर पहुंचा था। उससे पहले गांव के अन्य लोग वहां पर पहुंच गए थे। उसने वहां हरदयाल व रोहिताश को नहीं देखा था। गवाह को उसके धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कहा कि पुलिस ने उसका ऐसा कोई बयान नहीं लिया था। केवल नाम पता पूछा था, उसे इस मामले में गवाह क्यों बना दिया, इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि वह आज मुल्जिमानों से मिल गया है और उन्हें बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा है।

27. अभियोजन के अन्य साक्षी पी०डब्लू० 7 वीरेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि एक–डेढ़ साल पहले समय करीब 12:00 बजे वह अपने खेत से आ रहा था। उसके गांव की चाची, जिनका नाम उसे याद नहीं है। चाची और रोहिताश का झगड़ा हो रहा था। उसने बीच–बचाव कराया था। मुल्जिमान दो लोग थे, कार में सवार थे। झगड़ा खेत पर ही हुआ था। चाची खेत पर लकड़ी बटोर रही थी। उसके साथ गांव के और लोग थे। **बीच–बचाव में उसके सिर में डंडा लगा था, किसने मारा था, उसे याद नहीं है**। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर, प्रतिपरीक्षा में इसने कथन किया है कि यह कहना सही है कि गांव के परशुराम से व उसके पिता मेवाराम से रोहिताश आदि के साथ जमीनी विवाद है, इसलिए तहरीर लिखने वाले ने तहरीर में हरदयाल और रोहिताश का नाम लिख दिया था। वह थाने नहीं गया था। वह खेत पर झगड़े के बाद में पहुंचा था। वहां पर खेत पर 7–8 लोग मौजूद थे। **<u>वहीं पर भीड़ में धक्का–मुक्की हो गयी थी। धक्का–मुक्की में वह गिर था। गिरने पर उसके चोट आ गयी थी।</u> उसका किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा व मारपीट नहीं हुई थी और न ही कोई गाली–गलौज हुई और न ही मुल्जिमान ने उसके सामने जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी थी और न ही उसके सामने कोई मारपीट हुई थी।** उसका दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका बयान धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाए जाने पर, गवाह ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। कैसे

लिख लिया, वह इसकी वजह नहीं बता सकता।

28. अभियोजन की ओर से अपने कथनों को सिद्ध कराने हेतु अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही प्रस्तुत वाद के विवेचक व प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह तथ्य संदेह से परे तो दूर, संतोषजनक रूप से भी सिद्ध होता हो कि, अभियुक्तगण रोहिताश व हरदयाल द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ गाली–गलौज करने, लात–घूसों से मारपीट करने, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ने, जान से मारने धमकी देने और लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया हो। बल्कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पी०डब्लू० 1/पीड़िता, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 5, पी०डब्लू० 6 व पी०डब्लू० 7 द्वारा अभियोजन कथानक से इतर ही साक्ष्य दिया गया है।

29. अभियोजन कथानक का समर्थन करने वाले एकमात्र साक्षी पी०डब्लू० 4 डॉ० मधुमोहन सिंह द्वारा भी मात्र मेडिकल प्रपत्रों को ही सिद्ध किया गया है और यह कथन किया है कि उक्त पीड़िता/वादिनी मुकदमा व मजरूब वीरेन्द्र के उक्त चोटें कुंद व कठोर हथियार से आना संभव हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि **वीरेन्द्र के सारी चोटें गिरने से आना संभव हैं**। इस साक्षी के उपरोक्त कथन से पीड़िता/वादिनी मुकदमा व मजरूब वीरेन्द्र के चोटें आने की तो पुष्टि होती है, लेकिन उक्त चोटें किस प्रकार आयीं, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

30. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्यों के आधार पर व्यक्त किये गये उपरोक्त निष्कर्षों से यह विदित हो रहा है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, न ही वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा , न ही उसको बचाने हुए वीरेन्द्र/चुटहिल द्वारा क्रमशः बतौर पी०डब्लू० 1 व 7 के रूप में अभियोजन कथानक का ही समर्थन किया गया है, बल्कि अभियोजन द्वारा उनको पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 5 व पी०डब्लू० 6 को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

31. इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय और मौखिक साक्ष्यों एवं उपरोक्त निष्कर्षों से यह न्यायालय इस मत का है कि, अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण रोहिताश व हरदयाल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va

एस०सी०/एस०टी० एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। निष्कर्षतः अभियुक्तगण रोहिताश व हरदयाल संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **रोहिताश** व **हरदयाल** को आरोप अन्तर्गत धारा 323, 354 ख, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण हस्तगत प्रकरण में जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। उनके प्रतिभूपत्रों को भी निरस्त करते हुये, प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–481 भा०ना०सु०सं० के प्रावधानों के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक अभियुक्त एक–एक जामिनान द्वारा अंकन 25,000/–रूपये मय शपथपत्र इस आशय से दाखिल किये जायेंगे कि, वे मामले के निस्तारण के उपरान्त छः माह की अवधि तक अभियुक्तगण के जामिन रहेंगे तथा अभियुक्तगण द्वारा भी अंकन 25,000/– रूपये का बंधपत्र इस आशय का निष्पादित किया जाये कि वे अपील होने की स्थिति में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

(छवि अस्थाना)

दिनांक 09–04–2026 विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।
J.O Code UP6341

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छवि अस्थाना)

दिनांक 09–04–2026 विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।
J.O Code UP6341